(c) if so, by what time the Salal Hydel Project is likely to be completed;

(d) to what extent the power shortage to the state will be reduced;

(e) what are the other steps being taken by the Union Government to help the State to overcome this shortage of power in the J. & K. State ; and

(f) whether power shortage has greatly affected the State ?

THE MINISTER OF ENERGY AND IRRIGATION AND COAL (SHRI A. B. A. GHANI KHAN CHAUDHURI): (a) to (c). Due to serious geological faults encountered during the construction of the concrete dam, the progress has fallen behind schedule. These problems required a complete review of the earlier designs. They have now been resolved after study by the Technical Advisory Committee and the Central Water Commission. The project is now expected to be completed in 1986-87.

(d) On completion of the project, 2,062 Million Units are expected to be generated annually. This will improve the position in J&K since the State has a share in the power that will be generated.

(e) Subject to availability and with the consent of the partner State, the Bhakra Beas Management Board has assisted J&K State in times of need. In addition, efforts are being made to expedite the completion of transmission lines connecting J&K.

(f) There has been no exact quantification.

गत लोक सभा चुनावों में अनियमितताएं

1645. **श्री रामावतार शास्त्री:** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निर्वाचन आयोग का ध्यान गत लोक सभा चुनावों में की गई बेईमानी और अनियमितताओं की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) सरकार ने क्या उपचारात्मक उपायों पर विचार किया है तथा क्या राज्य विधान सभाओं के चुनावों में उनको लागू करने का विचार है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. शिवशंकर): (क) और (ख) आंध्र प्रदेश, बिहार, हरियाणा, जम्मू-काश्मीर, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल राज्यों और अरूणाचल प्रदेश, संघ राज्यक्षेत्र से शिकायतें निर्वाचन आयोग को प्राप्त हुई थीं जिनमें लोक सभा के पिछले साधारण निर्वाचनों में की गई धांधलियों और अन्य अनियमितताओं का अभिकथन किया गया था। निर्वाचन आयोग द्वारा प्राप्त गम्भीर और विनिर्दिष्ट शिकायतों की विशिष्टियां देने वाला एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल टी-625-बी/80]

(ग) धांधली और अन्य अनियमितताओं को रोकने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा जो उपाय किए जा चुके हैं वे इस प्रकार हैं:—

(1) सुरक्षा प्रबन्धों को कड़ा करने के लिये राज्य पुलिस बल के अतिरिक्त सीमा सुरक्षा बल और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल का तैनात किया जाना ;

(2) विधि और व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ी संख्या में जोनसेक्टर मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति ;

(3) निर्वाचनों का प्रर्यवेक्षण करने के लिए 1780 प्रेक्षकों की नियुक्ति जो भ्रष्ट आचरणों के विरूद्ध प्रभावी नियंत्रण के रूप में कार्य करेंगे ;

(4) उन क्षेत्रों में जहां हरिजनों और समाज के अन्य कमजोर वर्ग के लोगों की जनसंख्या प्रमुख है, बड़ी संख्या में मतदान केन्द्रों की स्थापना ;

और अधिक सुधार के उपायों पर निर्वाचन आयोग द्वारा सम्बन्धित मुख्य निर्वाचन आफिसरों के साथ होने वाली एक बैठक में विचार किया जाएगा । यह बैठक नौ राज्य विधान सभाओं के साधारण निर्वाचनों के पूर्व करने का प्रस्ताव है ।]